न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः— 54 / 2022

प्रार्थीः—

जबरजी पुत्र करनजी जाति राजपूत निवासी परिहारों की ढाणी
तहसील सिवाना जिला बाडमेर

—::बनाम::—

विप्रार्थीगणः:—

1. अमराराम पुत्र मुलाराम
2. चैनाराम पुत्र दरगाराम
3. श्रीमती ढपादेवी पत्नी मुलाराम
4. श्रीमती फुसीदेवी पत्नी दरगाराम
5. बीजाराम पुत्र मूलाराम
6. श्रीमती लीलु पत्नी रतनाराम
7. सवाराम पुत्र प्रागाराम
8. हरचन्दराम पुत्र मूलाराम
9. हेमाराम पुत्र सवाराम
   समस्त जातियान रबारी निवासीयान परिहारों की ढाणी
   तहसील सिवाना
10. जोगाराम पुत्र बीजाराम
11. बीजाराम पुत्र शंकरराम
    जातियान भील निवासीयान आकडली बक्सीराम
    तहसील पचपदरा
12. छैलसिंह पुत्र मानसिंह
13. जमतसिंह पुत्र मानसिंह
14. मंगलसिंह पुत्र मानसिंह
15. हडमतसिंह पुत्र मानसिंह
    जातियान राजपूत निवासी परिहारों की ढाणी
    तहसील सिवाना
16. आरिफ खॉ पुत्र कालूखॉ
17. आविदखॉ पुत्र कालूखॉ
18. मुस्ताक खॉ पुत्र कालूखॉ
19. श्रीमती सुगरा बानो पत्नी कालूखॉ
    जातियान मुसलमान छीपा निवासीयान मिठौडा
    तहसील सिवाना जिला बाडमेर
20. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना
21. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भुमि विकास बैंक शाखा, सिवाना
22. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री किशोरीलाल सोनी वकील प्रार्थी
2 श्री रामसिंह राजपुरोहित विप्रार्थी संख्या 1 व 2
3 तहसीलदार सिवाना

आदेश

दिनांक :— 19-09-2022

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 851/599 रकबा 09.7529 हैक्टेयर ग्राम परिहारों की ढाणी तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थी को अपने उक्त खातेदारी खेत से कांखी–गोल सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु इसी ग्राम में अवस्थित विप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 683/528 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 09 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 718/528 रकबा 02.9137 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 10 व 11 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 525 रकबा 0.7123 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526 रकबा 03.6260 हैक्टेयर व खसरा संख्या 527 रकबा 04.0874 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 12 से 15 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 522 रकबा 06.3131 हैक्टेयर व खसरा संख्या 600/521 रकबा 0.5584 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 16 से 19 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 855/532 रकबा 0.1458 हैक्टेयर में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पडता है। उक्त रास्ता न केवल प्रार्थी के लिए, बल्कि सड़क मार्ग और प्रार्थी के खेत के मध्य पडने वाले विप्रार्थीगण के खातेदारी खेतों तक आने जाने के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। उक्त रास्ता, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या A से B, B से C व B से D द्वारा दरसाया गया है, प्रार्थी के सडक मार्ग तक आवागमन का इकलौता विकल्प है और इसकी प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। रास्ते की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज होने के कारण बरसात के मौसम में कुछ विप्रार्थी रास्ते की भूमि पर फसल बोकर एवं कांटों की बाड़ लगाकर अवरूद्ध कर देते हैं, जिससे प्रार्थी को अपने खेत से सड़क मार्ग तक आवागमन में विकट समस्या आ जाती हैं। अतः प्रार्थी ने अपने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या A से B, B से C व B से D के जरिये बरंग लाल से दरसाई भूमि को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में दर्ज करवाने तथा लट्ठानक्शा में तदनुसार तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तत किया हैं।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1,2,7 व 9 ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल आवेदन के प्रस्तुतीकरण को विधि विरूद्ध बताते हुए कोस्ट के साथ खारिज करने हेतु निवेदन किया। विप्रार्थी संख्या 10 से 19 ने अजखुद उपस्थित होकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीकसुदा सहमति पत्र प्रस्तुत किया। सहमति पत्र में आवेदन के समस्त तथ्यों की ताइद करते हुए आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से दरसाय भूभाग को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में दर्ज किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की और अपने खातेदारी खेतों में से प्रचलित रास्ते की भूमि के वदले किसी प्रकार की प्रतिफल राशि लेने से इनकार किया । विप्रार्थी संख्या 22 तहसीलदार सिवाना स्वयं उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थी वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं की खातेदारी भूमि सहित समस्त विप्रार्थीगण की रास्ते में प्रभावित भूमि की जमाबंदियॉ एवं प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत किया। बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी भूमि मौजा परिहारों की ढाणी की खसरा संख्या 851/599 रकबा 09.7529 हैक्टेयर से कांखी–गोल सड़क मार्ग तक आवगमन हेतु

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

विप्रार्थी संख्या 01 से 19 के खातेदारी खेतों में से प्रचलित एवं कदीमी रूप से उपयोग में आ रहा मार्ग ही इकलौता विकल्प है। उक्त मार्ग न केवल प्रार्थी बल्कि इसके मध्य पड़ने तमाम खातेदारी खेतों के खातेदार विप्रार्थीगण एवं जनसाधारण के आवागमन के लिए भी उपयोगी है। उक्त मार्ग कुछ विप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिये जाने से प्रार्थी के अपने खेत तक आने जाने में विकट समस्या खडी हो जाती है। उक्त मार्ग इस हेतु इकलौता विकल्प है और इसकी प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल में दरसाई गई भूमि सरकारी खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप दर्ज की जावे, ताकि प्रार्थी के खेत से सड़क तक आने जाने की समस्या का हल हो सके।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1,2,7 व 9, जिन्होंने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन के तथ्यों के संबंध में अपनी आपति व्यक्त की थी, की बहस है कि रास्ता उसी स्थिति में स्वीकृत किया जाता है, जबकि वह आवेदक के लिए इकलौता विकल्प हो और निकटतम व प्रचलित हो, जबकि प्रार्थी के सड़क तक आवागमन हेतु उसके भाई भवसिंह के खेत में से रास्ता पहले से उपलब्ध है जो निकटतम, सबसे कम दूरी का और प्रचलित है। विप्रार्थी संख्या 10 से 19, जिनके द्वारा प्रार्थी ने सहमति पत्र देना जाहिर किया है, की न तो तलबी हुई है, न प्रार्थी ने इस हेतु उनके नोटिस ही जारी करवाये है और न उनके द्वारा कोई इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया है। वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु न तो अदालत द्वारा स्वयं मौका देखा गया है और न ही तहसीलदार सिवाना द्वारा मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई हैं। पत्रावली में लगे सहमति पत्र पर अंकित हस्ताक्षर फर्जी है और एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं। सहमति पत्र पर हस्ताक्षरकर्त्ताओं के पहचानकर्ता के रूप में रामसिंह का उल्लेख है, किन्तु रामसिंह कौन हैं, उसका कोई विवरण नहीं है। सहमति पत्र पर दर्ज तारीख से यह स्पष्ट है कि सहमति पत्र आवेदन से पूर्व तैयार किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों एवं गलत दस्तावेजात पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। विप्रार्थी संख्या 1,2,7 व 9 ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसमें अपनी आपतियॉ व्यक्त की है। जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र किसी नियमित वाद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, आवेदन में नही। इस प्रकरण, जो धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन है, पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तथापि उसमें व्यक्त आपतियों का विवेचन किया जाना अदालत न्यायोचित समझती हैं। विप्रार्थीगण ने भवसिंह नाम के खातेदार के खेत में से सुगम, निकटतम एवं अपेक्षाकृत सुविधाजनक रास्ता पहले से उपलब्ध होने व प्रचलित होने का अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है, किन्तु वह रास्ता किस खसरे में से एवं किस तरफ है, अपने कथन के समर्थन में कोई नक्शा वगेरा प्रस्तुत नहीं किया है। जहां तक विप्रार्थी संख्या 10 से 19 की तलबी संबंधी दलील का प्रश्न हैं, जहॉ अदालत को इस बात का समाधान हो चुका हो कि संबंधित पक्षकारान को प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की जानकारी हो चुकी है और उसका ठोस आधार उपलब्ध हो,ऐसी स्थिति में तलबी बिना नोटिस के पूर्ण एवं प्रामाणिक मानी जाएगी। प्रस्तुत प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 10 से 19 द्वारा नोटेरी पब्लिक से तरदीकसुदा सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने से यह स्पष्ट है कि उक्त पक्षकारान को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आवेदन दर्ज होने एवं उसमें अंकित तथ्यों की जानकारी हो चुकी थी तथा जिसके आधार पर उन्होंने अपना सहमति पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त सहमति पत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीकसुदा होने से उसकी प्रामाणिकता पर संदेह होने का भी कोई आधार नहीं हैं। जहॉ तक विप्रार्थी सख्या 1,2,7 व 9 द्वारा उक्त सहमति पत्र पर अंकित हस्ताक्षरों के फर्जी होने की दी गई दलील का प्रश्न है, वे विधि विहित प्रावधानों से सक्षम न्यायालय में उक्त सहमति पत्र की वैधता को चुनौति देने के लिए स्वतंत्र हैं। विना किसी आधार के किसी दस्तावेजात को फर्जी कहने मात्र से वह फर्जी नहीं हो जाता है। जहां तक मौका रिपोर्ट अदालत स्वयं द्वारा या तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाने का प्रश्न है, धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में मौके की जॉच के लिए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा संबंधित निरीक्षक भू अभिलेख को सक्षम एवं उसकी जॉच को पर्याप्त माना है। विप्रार्थी संख्या 1,2,7 व 9 ने आपति मौका रिपोर्ट के प्रावधानों की सत्यता पर नहीं, बल्कि भू.अभि. निरीक्षक की अधिकारिता पर की है, जो ग्राह्य नहीं हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विप्रार्थी संख्या 1,2,7 व 9 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में व्यक्त की गई आपतियॉ तथ्यहीन व औचित्यहीन होने से खारिज की जाती है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत से कांखी–गोल सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु चाहा गया रास्ता उसके लिए इकलौता विकल्प है तथा उक्त रास्ते की उसे आत्यंतिक आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 2 गट्टा होगी तथा खसरा संख्या 683/528 में प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 110 गट्टा व रकबा 0.0890 हैक्टेयर व खसरा संख्या 527 में लंबाई 60 गट्टा व रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526 में लंबाई 120 गट्टा व रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525 में लंबाई 50 गट्टा व रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 522 में लंबाई 100 गट्टा व रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 600/521 में लंबाई 30 गट्टा व रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 851/599 में लंबाई 190 गट्टा व रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 855/532 में लंबाई 170 गट्टा व रकबा 0.1376 हैक्टेयर व खसरा संख्या 718/528 में लंबाई 10 गट्टा व रकबा 0.0080 हैक्टेयर होगा। चूंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता कदीमी रूप से प्रचलित है और आवागमन के लिए काम में लिया जा रहा है तथा जो न केवल प्रार्थी के लिए बल्कि जनसामान्य के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है और आवागमन हेतु प्रयुक्त होता आ रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम परिहारों की ढाणी तहसील सिवाना की खसरा सख्या 851/599 रकबा 09.7591 हैक्टेयर से ग्राम कांखी–गोल सड़क मार्ग हेतु तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बरंग लाल से दर्शित बिन्दु संख्या A से B, B से C, B से D तक 02 गट्टा चौडा रास्ता, जिसकी खसरा संख्या 683/528 में लंबाई 110 गट्टा व रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 527 में लंबाई 60 गट्टा व रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 526 में लंबाई 120 गट्टा व रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525 में लंबाई 50 गट्टा व रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 522 में लंबाई 100 गट्टा व रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 600/521 में लंबाई 30 गट्टा व रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 851/599 में लंबाई 190 गट्टा व रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 855/532 में लंबाई 170 गट्टा व रकबा 0.1376 हैक्टेयर व खसरा संख्या 718/528 में लंबाई 10 गट्टा व रकबा 0.0080 हैक्टेयर होगा, निकालने स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

चूंकि खसरा संख्या 683/528 के खातेदार विप्रार्थी संख्या 01 से 08 व खसरा संख्या 718/528 के खातेदार विप्रार्थी संख्या 09 को छोड़कर शेष समस्त प्रभावित खातेदार बिना प्रतिफल प्राप्ति के रास्ता देने हेतु सहमत हैं। खसरा संख्या 683/528 की भूमि यद्यपि गैरमुमकिन रास्ते के रूप में रेकर्ड में दर्ज है तथापि, उक्त भूमि सरकारी खाते में दर्ज न होकर खातेदारों की खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 718/528 में 0.0080 हैक्टेयर व खसरा संख्या 683/528 में 0.0890 हैक्टेयर भूमि रास्ते में प्रभावित हो रही है। उक्त खसरों की खसरा संख्या 718/528 में 0.0080 हैक्टेयर व DLC दर 44605/–रुपये प्रति बीघा व 275554/– रुपये प्रति हैक्टयेर है तथा प्रतिफल के रूप में रास्ते में जाने वाली भूमि के बदल में DLC दर की दुगुनी राशि दिये जाने का प्रावधान है। अतः खसरा संख्या 683/528 के खातेदारान को 0.0890 हैक्टेयर भूमि के बदले 49049/–रुपये तथा खसरा संख्या 718/528 में 0.0080 हैक्टेयर भूमि के बदले 4408/–रुपये राशि अदा की जानी है।

अतः प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 09 को दी जाने वाली राशि 53457/– रुपये राजकोष में जमा करवाये जाने पर रास्ते की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अमलदरामद एवं लट्ठा ट्रेस में तरमीम सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक–राजस्व/2022/765 दिनांक 04.08.2022 प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिवाना क्षतिपूर्ति राशि का विप्रार्थीगण को उनके वास्तविक हिस्सानुसार भुगतान करे।

(कुसुमलता चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 19-09-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

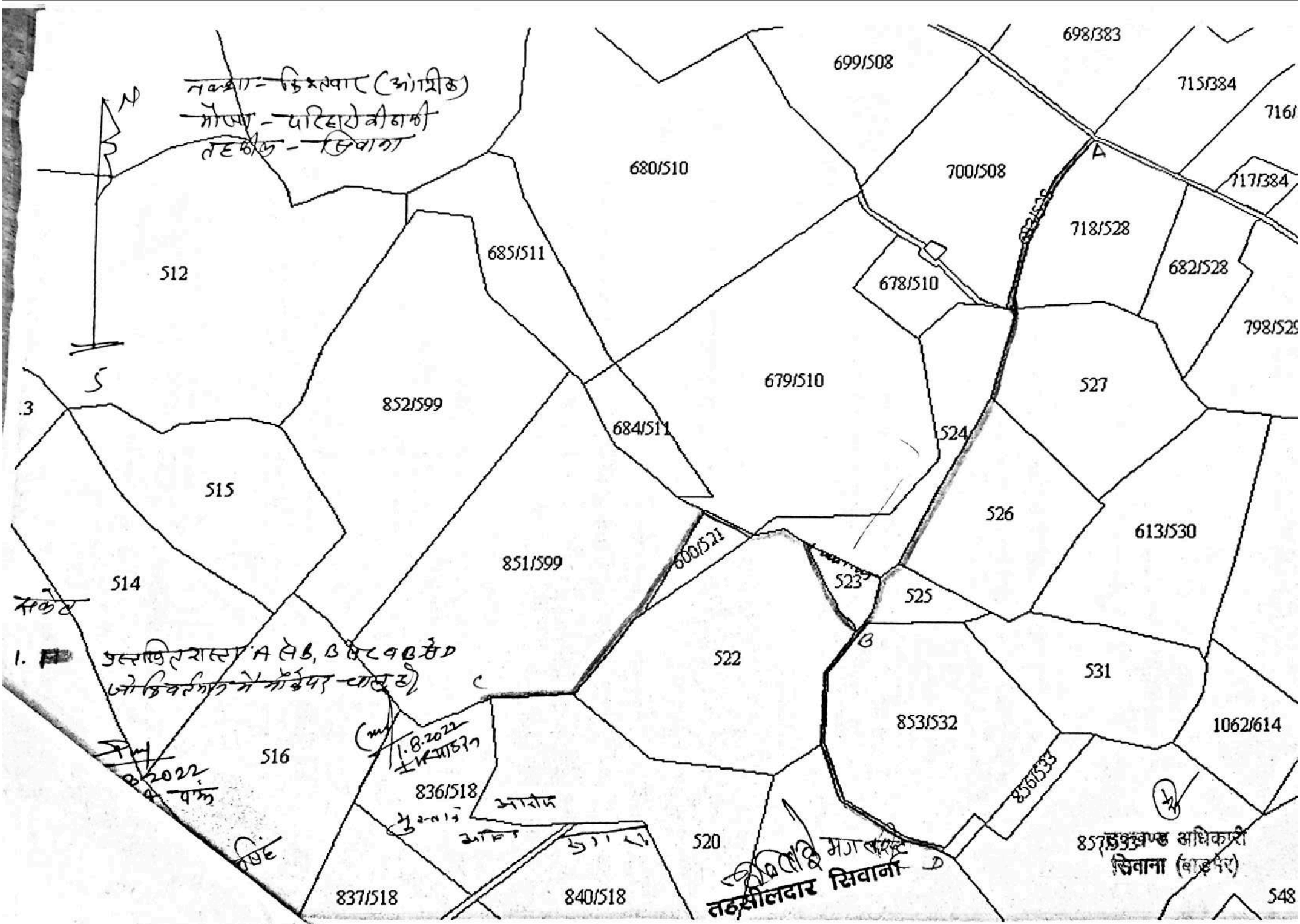

नक्शा - ट्रिसलवार (आंशिक)
मौजा - पादियो बीनाणी
तहसील - सिवाना
698/383
699/508
715/384
716/
680/510
700/508
717/384
718/528
512
685/511
678/510
682/528
798/529
679/510
852/599
527
524
684/511
515
526
613/530
851/599
600/521
523
525
514
522
531
853/532
1062/614
516
836/518
520
837/518
840/518
856/533
तहसीलदार सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)
548